संयुक्त राष्ट्र संघ

ए/एचआरसी/31/66

महासभा

Distr.: सामान्य

4 फरवरी 2016

UNOFFICIAL HINDI TRANSLATION; NOT TRANSLATED BY THE UNITED NATIONS

अनाधिकारिक हिंदी अनुवाद ; संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अनुवाद नहीं किया हुआ।

मानव अधिकार परिषद

इक्तीसवां सत्र

एजेंडा संख्या 3

विकास के अधिकारों सहित सभी मानव अधिकारों, सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का प्रवर्तन एवं संरक्षण

विशेष प्रतिवेदक की संयुक्त रपट
- शांतिपूर्ण सभा एवं संघ की स्वंतत्रता के अधिकारों के लिए, और सभा का उचित प्रबंधन करने के लिए न्यायेतर, जल्दबाजी में या मनमाने ढंग से कार्यान्वन के सम्बन्ध में

सचिवालय द्वारा जारी नोट

सचिवालय को यह अधिकार है कि वह मानवाधिकार परिषद् को विशेष प्रतिवेदक की संयुक्त रपट सौंपे, जो शांतिपूर्ण सभा एवं संघ, **मैना किआई (** Maina Kiai) के स्वतंत्रता के अधिकारों और साथ ही न्यायेतर, जल्दबाजी में या मनमाने ढंग से चलाने, क्रिस्ट ऑफ हायन्स (Christof Heyns) से सम्बंधित है. प्रस्ताव क्रमांक 25/38 के अंतर्गत परिषद को सोंपी गयी इस रपट में, विशेष प्रतिवेदक ने सभाओं के उचित प्रबंधन के लिए व्यावहारिक सिफारिशों का संकलन प्रस्तुत किया है। इस संकलन के प्रत्येक अनुभाग में विशेष प्रतिवेदक ने अंतर्राष्ट्रीय विधिक मानकों का सारांश प्रदान किया है, जो लागू करने योग्य हैं, और उसके साथ ही उन सिद्धांतो को लागू करने के तरीकों की व्यवहारिक सिफारिशें इस उद्देश्य से प्रदान की हैं कि सभाओं को आयोजित करने वाले सभी लोगों के विभिन्न अधिकारों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

विषयवस्तु

पृष्ठ

I. परिचय..... 3

II. सभाओं का उचित प्रबंधन..... 3

ए. राज्य, सभाओं के प्रतिभागियों के सभी अधिकारों को सुनिश्चित एवं उनका सम्मान करेंगे..... 5

ब. प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभाओं में भाग लेने का अहस्तांतरणीय अधिकार है..... 6

स. शांतिपूर्ण सभाओं पर लगाये गये किसी भी प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का अनुपालन करना चाहिए 8

द. शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों के प्रयोग के लिए राज्य सहायता करेंगे..... 10

य. जब तक अपरिहार्य नही हो तब कर बल प्रयोग नही किया जाना चाहिए, और यदि किया जाय तो यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुरुप होना चाहिए..... 12

र. सभा का निरीक्षण,निगरानी एवं रिकॉर्ड करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होगा..... 16

ल. सभा से संबंधित व्यक्तिगत सूचना का संग्रह किसी की गोपनीयता या अन्य अधिकारों में बिनआज्ञा हस्तक्षेप नही होना चाहिये 17

व्. सभा से संबंधित जानकारी का उपयोग करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है..... 18

प. सभाओं के संदर्भ में मानवाधिकारों का सम्मान करना व्यापार उद्यमों का उत्तरदायित्व है..... 19

फ. राज्य और इसके अंगों को सभा के संबंध में इनके कार्यकलापों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए 20

III. निष्कर्ष

I.परिचय

1. आज के दौर में विभिन्न रूप में आयोजित सभाएं, नये अवसर एवं चुनौतियां प्रदान करते हुए पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लागू किये जा सकने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून एवं मानकों की स्पष्ट समझ, और समय के साथ-साथ सभाओं के प्रबंधन के दौरान सीखे गये सबक सभी सम्मिलित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने में मदद कर सकती हैं - जैसे कि सभा में हिस्सा लेने वाले लोग, दर्शकगण, निरीक्षक और अधिकारीगण।

2. मानवाधिकार परिषद ने सभाओं के सन्दर्भ में मानवाधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण पर लगातार ध्यान समर्पित किया है। [1] मार्च 2014 में, इसने प्रस्ताव क्रमांक 25/38 अपनाया, जिसमें इसने विशेष प्रतिवेदक से अनुरोध किया कि शांतिपूर्ण सभा और संगठित होने की स्वतंत्रता के अधिकारों पर और न्यायेतर, जल्दबाजी में या मनमाने ढंग से कार्यान्वयन पर उचित प्रबंधन के व्यवहारिक सिफारिशों का संकलन तैयार करे.[2]

3. इन सिफारिशों को विकसित करने में, विशेष प्रतिवेदक ने परिषद के अनुरोध के अनुसार संबधित हितधारकों के साथ विस्तार से सलाह-मशविरा किया, जैसे कि प्रश्नावली एवं भागीदारी परामर्श के द्वारा। विशेष प्रतिवेदक ने राज्य प्रतिनिधियों के साथ चार परामर्श सत्र आयोजित किये [3] और नागरिक समाज, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं, क्षेत्रीय मानवाधिकार तंत्र और आरक्षक एवं अन्य विशेषज्ञों के साथ भी चार क्षेत्रीय परामर्श सत्र आयोजित किये। [4] नौ-सदस्यों की एक सलाहकार समिति बुलायी गयी, जिसने विशेष प्रतिवेदकों को इस प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्रदान की।[5]

4. इस संकलन का उद्देश्य मार्गदर्शन प्रदान करना है कि कैसे उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को घरेलु कानूनों में कार्यान्वित किया जाय एवं इससे सम्बंधित अधिकारों की अधिकाधिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें लागू किया जाये। यह सिफारिशें कोई 10 अतिमहत्वपूर्ण सिद्धांतों के इर्द-गिर्द तैयार की गयी हैं, और हरेक अनुभाग में उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सारांश से पहले दर्शायी गयी हैं। वैश्विक अनुभव एवं सीखे गये सबक के संदर्भ के अनुरुप यह सिफारिशें विकसित की गयी हैं।

II. सभाओं का उचित प्रबंधन

5. लोकतांत्रिक, आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास , विचारों की अभिव्यक्ति और नागरिकों की सहभागिता बढाने के लिए संगठित होने एवं सामूहिक रुप से कार्य करने की छमता बहुत ज़रूरी है। लोकतांत्रिक प्रणाली के विकास मे सभाएं एक सकारात्मक योगदान दे सकती हैं, और चुनाव के साथ-साथ लोक भागीदीरी में, सरकारों को जवाबदेह ठहराने में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करने में यह बुनियादी भूमिका निभा सकती हैं।

6. सभाएं एक ऐसा औज़ार भी हैं जिनके द्वारा अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक और सांस्कृतिक अधिकारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है, अर्थात कि वे मानवाधिकारों के एक व्यापक दायरे को संरक्षित एवं संवर्धित करने में विवेचित भूमिका निभाते हैं। हाशिए पर धकेले गए लोगों की आवाज़ को बुलंद करने में या जो लोग स्थापित राजनीतिक एवं आर्थिक हितों के लिए एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं, उन सभी के लिए सभाएं सशक्त साधन हो सकती हैं। सभाएं न केवल राज्य के साथ संवाद करने के लिए बल्कि समाज की अन्य प्रभावशाली शक्तियों के साथ जूझने के भी तौर-तरीके प्रदान करती हैं, जिसमें निगम, धार्मिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थान शामिल हैं, और आमतौर पर जनता की राय तय करने में यह एक सशक्त साधन है।

7. शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के अधिकारों का पूर्ण एवं स्वतंत्र अनुपालन वहीं संभव है जंहा आम जनता (जिसमें नागरिक समाज और मानवाधिकार संरक्षक शामिल हैं) के लिए सक्षम एवं सुरक्षित वातावरण मौजूद हो, और जंहा सार्वजनिक भागीदारी प्रगट करने के लिए प्रयाप्त मौके मौजूद हों, और जहाँ आवश्यकता से अधिक एवं अनुचित प्रतिबंध न लगाये गए हों। संघो को बनाने एवं सभाओं को चलाने में बाधाएं, मानवाधिकारों को अमल में लाने और उनका संरक्षण करने वालों की प्रतिहिंसा से सुरक्षा के कमज़ोर साधन, कानून के उलंघ्घन के लिए अत्यधिक एवं अनुचित सजा, और सार्वजनिक स्थान के प्रयोग पर अनुचित प्रतिबंध, यह सभी शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के अधिकार को नकारात्मक रुप से प्रभावित करते हैं।

8. सभा के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि सभी शामिल दलों के द्वारा अधिकारों के एक व्यापक दायरे का संरक्षण एवं उपभोग किया जाय़। सभाओं में भाग लेने वालों के पास कई संरक्षित अधिकार हैं जिसमें शांतिपूर्ण सभा, अभिव्यक्ति, संघ और आस्था की स्वतंत्रता ; सार्वजनिक मामलों के संचालन में भागीदारी ; शारीरिक अंखण्डता, जिसमें सुरक्षा के अधिकार शामिल हैं, क्रूरता, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा से आजादी; और जीवन के अधिकार; सम्मान; गोपनीयता ; एवं सभी मानवाधिकारों के उलंघ्घन के प्रभावी उपाय, जैसे अधिकार भी शामिल हैं;

9. यंहा तक कि यदि सभा में भागीदारी शांतिपूर्ण नही है और परिणामस्वरुप शांतिपूर्ण सभा के उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, फिर भी उनके पास अन्य सभी अधिकार होते है जिनपर सामान्य सीमाएं लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार कोई भी सभा असुरक्षित नही मानी जानी चाहिए।

10. आमतौर पर समझा जाता है कि एक ‘‘सभा’’, किसी निजी व् सार्वजनिक स्थल में एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाई गई एक साभिप्राय एवं अस्थायी सभा है, और वह प्रदर्शनो, बैठकों, हड़तालों, जुलूसों, रैलियों का रुप ले सकती हैं, इस अभिप्राय से कि लोग अपनी शिकायतों और अपेक्षाओं या समारोह सुविधा की आवाज उठा सकें (ए/एचआरसी/20/27, पैरा 24 देखें)। यंहा तक कि खेल-कूद प्रतियोगिताएं, संगीत समारोह और ऐसी अन्य सभाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जबकि एक सभा को एक अस्थायी सभा के रुप में परिभाषित किया जाता है, इसमे लंबे दौर वाले प्रदर्शन भी शामिल किये जा सकते हैं, जिनमें दीर्घ-कालिक धरना-प्रदर्शन और “घेरे-बंदी” जैसी अभिव्यक्ति की शैली को ‘‘अपनाया’’ जा सकता है। हालांकि एक सभा आमतौर पर लोगों की भौतिक उपस्थिति के तौर पर ही समझी जाती है, पर यह मान लिया गया है कि मानवाधिकार संरक्षण, जिसमें सभा की स्वतंत्रता शामिल है, ऑनलाइन होने वाली तमाम बातचीत पर भी लागू किये जा सकते हैं।

11. सिफारिशों का फोकस ऐसी सभाओं पर है जो कि समान समझ, शिकायतें, आकान्शाएं या एक विशिष्ट पहचान दर्शाती हैं, और जो मुख्यधारा की समझ और मान्यता से परे हटकर हों या स्थापित राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक हितों को चुनौती देती हैं। यह दृष्टिकोण अपनाने में, विशेष प्रतिवेदकों को मानवाधिकार परिषद प्रस्ताव 25/38 प्रयुक्त भाषा से मार्गदर्शन मिला, जिसमे परिषद विशेषरुप से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में मानवाधिकारों के प्रचार एवं संरक्षण का उल्लेख करती है। हालांकि यहाँ ध्यान योग्य बात यह है कि सभा के प्रतिभागियों का कोई भी अधिकार किसी भी प्रकार से उस सभा के राजनीतिक या और कोई कारण से, या सभा की अभिव्यक्ति के सार और सन्दर्भ आदि के आधार पर अनिश्चित नहीं है.

12. प्रस्ताव में परिषद विशेष प्रतिवेदकों से अनुरोध करती है कि सभाओं पर ध्यान केंद्रित करने और केवल शांतिपूर्ण सभाओं तक ही सीमित नही रहने का है। परिणामस्वरुप, शांतिपूर्ण एवं गैर-शांतिपूर्ण दोनो सभाओं को वर्तमान रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

13. राज्यों का दायित्व न केवल सभा में सम्मिलित व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करने से परे रहने का है, बल्कि प्रतिभागियों के या उनसे प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों को भी सुनिश्चित करने का है, और साथ ही एक अनुकूल वातावरण को निर्मित करने में सहयोग देने का है। इस प्रकार सभाओं के प्रबंधन को सुसाध्य बनाना और समर्थन देना इसमें शामिल है और निम्नलिखित सभी सिफारिशों में इसे व्यापक ढंग से व्याखित किया गया है।

अ. सभा के प्रतिभागियों के सभी अधिकारों को राज्य सुनिश्चित एवं सम्मानित करेंगे

14. अंतर्राष्ट्रीय कानून में यह निहित है कि सभी व्यक्तियों के अधिकारों को राज्य सम्मानित एवं सुनिश्चित करें। अधिकारों को सम्मानित करने के दायित्व का अर्थ है कि राज्यों को अवश्य ही अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने से बचना चाहिए जंहा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इसकी अनुमति नही है। अधिकारों को सुनिश्चित करने के दायित्व की मांग है कि राज्य द्वारा ऐसे सकारात्मक कदम उठाये जाएँ जिनमें गैर-राजकीय कर्मियों द्वारा उनके अधिकारों में दखलान्दाज़ी को रोका जा सके।[1] अधिकारों की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि राज्य, अधिकारों को प्रयुक्त करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा करे, उनकी सुविधा दे या उन्हें प्रदान करें।

15. राज्यों को किसी भी वर्जित आधार पर बिना किसी भेदभाव के अधिकारों का सम्मान और उनको सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पति, जन्म, या अन्य स्थिति शामिल है। सार्वजनिक सभाओं के संगठन एवं उनमें प्रतिभागिता की स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों, समूहो, अपंजीकृत संघो, विधिक संस्थाओं एवं कॉरपोरेट निकायों के लिए अवश्य ही सुनिश्चित किये जाने चाहिए।[2]

16. उन समूहों और व्यक्तियों को जिन्होंने ऐतिहासिक रुप से भेदभाव अनुभव किया है, उनके अधिकारों की समान एवं प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। इसमे महिलाएं, बच्चे एवं युवा, विक्लांग, गैर-नागरिक (जिसमें आश्रय चाहने वाले और शरणार्थी शामिल हों), जातिय एवं धार्मिक अल्पसंख्यक, विस्थापित लोग, सूरजमुखी (ऐल्बिनिज्म से ग्रसित लोग), आदिवासी और ऐसे लोग जिनके यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान(ए /एचआरसी/26/29) के आधार पर भेदभाव किया गया हो, शामिल हैं। इस कर्तव्यपालन के लिए आवश्यक है कि अधिकारीगण इन समूहों द्वारा सभा की स्वतंत्रता के अधिकारों की सुरक्षा एवं उनके प्रयोग को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय करें।

17. व्यवहारिक सिफारिशें:

(अ) राज्यों को प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि करनी चाहिए और कानून के अनुसार शांतिपूर्ण सभा के पक्ष में एक सकारात्मक धारणा स्थापित करनी चाहिए। सभा से संबद्ध लोगों की रक्षा के विभिन्न अधिकारों के लिए उन्हे कानूनी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, और ऐसे कानून, नीतियों और इन अधिकारों को लागू करने की आवयशक प्रक्रियाओं को

---

[1] यूरोपिय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, *प्लेटफोर्म एर्ट्ज़ फुर दास लेबेन व ऑस्ट्रीय,* एप्लीकेशन सं 10126/82/, 21 जून 1988

[2] ऑफिस फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन राइट्स(ओडीआईएचआर) ऑफ द ओर्गनाइजेशन फॉर सीक्योरिटि एंड कोऑपरेशन इन यूरोप(ओएससीई), *गाइडलाइन्स ऑन फ्रीडम ऑफ पीसफुल एसंबली*(2010), पैरा 2.5. देखें

अधिनिमियत कर उन्हें लगातार सुधारना चाहिए। कोई भी सभा एक असुरक्षित सभा के तौर पर नही मानी जानी चाहिए;

(ब) राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभाओं के प्रबंधन से संबंधित सभी कानून स्पष्ट रुप से बनाये गए हैं, और ऐसे कानून एक दूसरे के एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अविरोधी न हों। जहां अस्पष्टता होती है, संबंधित प्रावधान (प्रावधानों) की व्याख्या शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के उनके अधिकार को उपयोग करने के इच्छुक व्यक्तियों के पक्ष में की जानी चाहिए।;

(स) वर्तमान व्यावहारिक अनुशंसाओं और सभाओं के प्रबंधन के प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शन हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित, अधिनियमित एवं उसमें समय के साथ सुधार करना चाहिए , और जहाँ आवश्यक हो, मानवाधिकार के संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय या अन्य विशेषज्ञ एजेंसी से तकनीकी सहायता लेनी चाहिए;

(द) सभाओं के प्रबंधन में शामिल अधिकारियों को राज्यों को आवश्यक सहायता एवं पर्याप्त निरीक्षण प्रदान करना चाहिए, जो सरकार के सभा स्तरों पर दी जाये। इसमें पर्याप्त प्रशिक्षण और आवश्यक वित्तिय एवं मानव संसाधन शामिल हैं;

(य) राजनीतिक एवं अन्य नेताओं को सार्वजनिक रुप से यह दर्शाना चाहिए कि विचारों में मतभेद के लिए स्थान है एवं सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा मिले।

ब. प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभाओं में भाग लेने का अहरणीय अधिकार है

18. क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून शांतिपूर्ण सभाओं में भाग लेने के अहरणीय अधिकार को मान्यता देता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि शांतिपूर्ण सभा में भाग लेने के पक्ष में इसकी मूल धारणा है। सिविल एवं राजनीतिक अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद 21 के अनुसार नियत की गयी अनुमेय सीमाओं के अनुरुप, सभाओं को वैध माना जाना चाहिए। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा केवल उन सभाओं तक ही सीमित है जो शांतिपूर्ण है। इस अधिकार के अंतर्गत एक सभा सुरक्षित है या नही यह निर्धारित करने के लिए सभा की शांतिपूर्णता को पहले से ही मान कर चलना चाहिए ,[3] और "शांतिपूर्ण" शब्द की व्याख्या व्यापकरुप से ही की जानी चाहिए। [4] सभा को आयोजित करने के तौर-तरीकों के प्रति उदारता बरतते हुए प्रतिभागियों की मंशाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

19. शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के अधिकारों में किसी भी कानूनी तरीके से सभा के लिए योजना बनाने, आयोजन करने, उसे बढ़ावा देने और प्रचार करने के अधिकार शामिल हैं। ऐसी गतिविधियों पर हर प्रतिबंध को अधिकारों के प्रयोग पर पूर्व-प्रतिबंध माना जाना चाहिए। संघ की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर हरेक प्रतिबंध शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता को प्रतिबंध के रुप में प्रभावी कर सकता है।

20. शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का अधिकार सभा में प्रतिभागी हरेक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। कुछेक लोगों के द्वारा छिटपुट हिंसा या अपराध के लिए अन्य लोगों को दोषी नही ठहराया जाना चाहिए जिनकी मंशा एवं व्यवहार शांतिपूर्ण प्रकृति का हो।

---

[3] ए/एचआरसी/20/27, पैरा 26 एंड ए/एचआरसी/23/39,पैरा. 50. देखें

[4] मेनफ्रेड नोवक,यूएन कोवीनेंट ऑन सिविल एंड पॉलीटिकल राइट्सःसीसीपीआर कोमेंटरी (केहल एम रेन, एंजेल,2005) पी. 487

21. शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता एक अधिकार है न कि विशेषाधिकार, और इसीलिए इस अधिकार के प्रयोग के लिए अधिकारियों की पूर्व-अनुमति या पूर्व-अधिकृत का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। राज्य अधिकारी गण, पूर्व-अधिसूचना के नियम बना सकते हैं, जिसका उद्देश्य इन अधिकारों का प्रयोग कराने में राज्याधिकारियों द्वारा सहयोग करने, जनता की सुरक्षा के संरक्षण के उपाय करने और /या जनता के आदेश और दूसरों के अधिकार एवं स्वतंत्रता के संरक्षण के अवसर की अनुमति देना है। अधिसूचना जारी करने की कोई भी प्रक्रिया को अनुमोदन के लिए वस्तुत: अर्जी के रुप में या विषय-आधारित नियमन के रूप में प्रतीत नहीं होना चाहिए। ऐसी सभाओं के लिए अधिसूचना ज़रूरी नहीं जहाँ राज्य अधिकारियों को पहले से तैयारी की आवश्यकता नही होती है, जैसे की जंहा प्रतिभागियों की कम संख्या अनुमानित हो या जंहा जनता पर बहुत कम प्रभाव अपेक्षित हो।

22. अधिसूचना जारी करने की कोई भी प्रक्रिया (यें) बहुत अधिक अधिकारी-तंत्र आधारित नही होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जिसका संतुलित मूल्यांकन किया जाना संभव हो। [5] नोटिस अवधि अतर्कसंगत और लम्बी नही होनी चाहिए, लेकिन संबंधित अधिकारियों को सभा के लिए उचित तैयारी के लिए पर्याप्त समय प्रदान करे। अधिसूचना प्रक्रिया प्रभार मुक्त (ए/एचआरसी/23/39, पैरा. 57 देखें) एवं व्यापक रुप से सुलभ होनी चाहिए।

23. सभा के अधिकारियों को अधिसूचित करने में असफल होने का अर्थ यह नही है कि सभा अवैध है और फलस्वरुप सभा को छिन्न-भिन्न करने का आधार के लिए प्रयुक्त नही होनी चाहिए। जंहा उचितरुप से अधिसूचित करने में असफल रहते हैं, आयोजक, समुदाय या राजनीतिक नेताओं पर आपराधिक या प्रशासनिक प्रतिबंध जैसे जुर्माना या कैद, नही लगाये जाने चाहिए (ए/एचआरसी/20/27, पैरा 29)। यह समान रुप से सहज सभाओं के मामलों में लागू होता है जंहा पूर्व नोटिस अव्यवहारिक है या जंहा पहचानवाला आयोजक उपस्थित हो। सहज सभाओं को अधिसूचना की आवश्यकताओं से मुक्त कर देना चाहिए,[6] और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को जंहा तक संभव हो स्वाभाविक सभा का संरक्षण एवं उसे सुसाध्य बनाना चाहिए क्योंकि कोई अन्य सभा नही है।

24. सभाओं को सुसाध्य बनाने और उनकी सुरक्षा करने का राज्यों के दायित्व में समकालीन सभाएं और जवाबी विरोध-प्रदर्शन शामिल हैं जिसमें एक या उससे अधिक सभाएं अन्य सभाओं के संदेशों के प्रति असंतुष्टि दर्शाती हैं। सभाओं को, जिसमें स्वाभाविक सभाएं और जवाबी विरोध-प्रदर्शन शामिल हैं, यथासंभव, उनके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुसाध्य बनाना चाहिए।[7]

25. अपने अधिकारों का प्रयोग करने वालों की हिंसा या हस्तक्षेप से सुरक्षा के उपायों को सुसाध्य बनाना राज्य का उत्तरदायित्व है। एक जोखिम का होना हालांकि किसी सभा को निषेध करने अपर्याप्त कारण है। जंहा हिंसक संघर्ष का जोखिम प्रतिभागियों के बीच या सभाओं के मध्य उपस्थित हो तो प्रतिभागियों एवं अन्यों की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कम-से-कम प्रतिबंधात्मक उपाय किये जाने चाहिए।

---

5 ए/एचआरसी/20/27, पैरा 28 एंड इंटर-अमेरीकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, सेकेंड रिपोर्ट ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स इन द अमेरीकास,(2011),पैरा 137देखें

6 यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स,*बुक्ता व हंगरी,* एप्लीकेशन सं 25691/04, 17 जुलाई 2007

7 हालांकि, जंहा दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप की मंशा के साथ कानूनीतौर पर संगठित होने के लिए एक विरोधप्रदर्शन का विरोध आयोजित किया गया है, यह प्रदर्शन नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद 5 की सीमाओं के भीतर है और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरुप संरक्षण लागू नही होंगे।

26. जबकि आयोजकों को कानून के अनुपालन एंव एक सभा के शांतिपूर्ण संचालन को प्रोत्साहन हेतू उचित प्रयास करने चाहिए, वहीं दूसरों के अवैध व्यवहार के लिए आयोजकों को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता। ऐसा करना व्यक्तिगत दायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन होगा एवं सभा के आयोजकों, प्रतिभागियों और अधिकारियों के मध्य विश्वास एवं सहयोग को कमजोर करेगा और संभावित सभा के आयोजकों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने में हतोत्साहित करना चाहिए।

27. कोई भी व्यक्ति आपराधिक तौर पर, सिविल या प्रशासनिक स्तर पर एक शांतिपूर्ण विरोध में भाग लेने या आयोजन करने के लिए उत्तरदायी नही ठहराया जाना चाहिए।

28. **व्यवहारिक सिफारिशें:**

(अ) राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्व अधिसूचना की कोई भी प्रणाली हो वह सभाओं के पक्ष की धारणा को प्रभावी बनाती है, सभाओं को प्रतिबंधित करने की अधिकारियों के अधिकारों की सीमा को संकीर्ण करती है और संतुलित आकलन को शामिल करती है;

(ब) राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आयोजकों को एक सभा आयोजित करने के लिए, कानून या व्यवहार में, पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता न हो। जंहा एक अधिसूचना प्रणाली का प्रावधान है, तो इसे शांतिपूर्ण सभा को सुसाध्य बनाने न कि पूर्व प्राधिकरण के लिए वास्तविक आवश्यकता के रुप में प्रयोग करना चाहिए;

(स) अधिसूचना प्रणाली बहुत अधिक अधिकारी-तंत्र आधारित नही होनी चाहिए। अधिसूचना प्रक्रिया के सरलीकरण के उपायों में निम्नलिखित शामिल किये जा सकते हैं : कई आवास बिन्दु, जिनमें शहरी क्षेत्र से बाहर, व्यक्तिगत और सहायता प्राप्त आवास शामिल हैं; ऐसे प्रपत्रों का प्रयोग जो कि सहज और सुलभ हैं, संक्षिप्त और कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। जंहा इंटरनेट की सुविधा अच्छी है, अधिकारियों को ऑनलाइन आवास प्रणाली के बारे में विचार करना चाहिए;

(द) कोई भी नोटिस अवधि उतनी छोटी होनी चाहिए जितनी संभव हो, फिर भी अधिकारियों को सभा के लिए तैयारी करने पर्याप्त समय मुहैया कराये — अधिक-से-अधिक कई दिनों की नोटिस अविधि हो सकती है, लेकिन आदर्श रुप से वह 48 घंटो के भीतर हो;

(य) अधिसूचना तब पूर्ण मानी जानी चाहिए जब उस नोटिस में अधिकारियों को सभा की तिथि, समय एवं स्थान के निर्धारण के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान करी गयी हो, और जब उपयुक्त हो, आयोजक का संपर्क विवरण भी प्राप्त किया जा चुका हो। अधिसूचना को पूर्ण करने के लिए या सभा को संचालित के लिए अधिकारी की ओर से किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नही है;

(र) जंहा दो या दो से अधिक सभाओं के लिए अधिसूचना समान स्थान एवं समान समय के लिए जमा की जाती है, अधिकारियों को किसी भी प्रकार के जोखिम के लिए व्यापक आकलन करना चाहिए और ऐसे जोखिम को कम-से-कम करने के लिए एक रणनीति विकसित करनी चाहिए। जंहा एक या एक से अधिक समकालिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने आवश्यक हो जाते हैं, तो वे प्रतिबंध आपसी सहमति पर निर्धारित होने चाहिए या जंहा यह संभव न हो तो एक ऐसी प्रक्रिया के तहत यह प्रतिबन्ध तय होने चाहिए जो कि प्रस्तावित सभाओं के बीच भेदभाव नह करे।

स. शांतिपूर्ण सभाओं पर लगाये गये किसी भी प्रतिबंध को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का अनुपालन करना चाहिए

29. शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, और जंहा तक संभव हो, किसी प्रतिबंध के बिना इस अधिकार का उपभोग किया जाना चाहिए। केवल वही प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं जो कि एक लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था, जन-स्वास्थ्य या नैतिकता की सुरक्षा या दूसरों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा के हितों के लिए आवश्यक हैं, और वैध हैं, आवश्यक हैं और उद्देश्य के अनुरुप हैं। कोई भी प्रतिबंध नियम के बजाय अपवाद होना चाहिए और ऐसे प्रतिबन्ध को अधिकार के सार को नष्ट नही करना चाहिए।[8]

30. वैधता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लगाये गये कोई भी प्रतिबंध का कानून की दृष्टि में वैधता एवं उसका एक औपचारिक आधार होना चाहिए (वैधता का सिद्धांत), और उसी के साथ प्रतिबंध लगाने वाले अधिकारी की नियुक्ति और शक्तियां भी वैध होनी चाहिए। [9] कानून को स्वयं भी पर्याप्त रुप से स्पष्ट होना चाहिए जो एक व्यक्ति को स्वयं यह आकलन करने योग्य बना दे कि उसका आचरण कानून का उलंघ्घन होगा अथवा नही और ऐसे किसी उलघ्घन के परिणाम का भी पूर्वानुमान लगा सके। [10] आनुपातिकता के सिद्धांत को अपनाने के लिए, कोई भी प्रतिबंध अपने संरक्षण की ज़िम्मेदारी निभाने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। आवश्यक मापदंडो की पूर्ति के लिए यह प्रतिबंच उनमे सबसे कम हस्तक्षेप करने वाले होने चाहिए, जो वांछित परिणाम पा सकते हैं। इसे अधिकारियों के विशेष उद्देश्यों एंव चिंताओं के लिए सटीक बनाया जाना चाहिए, और यह प्रस्तावित सभा से सम्बंधित अधिकारों की एक पूरी श्रृंखला के आकलन पर आधारित होना चाहिए। वांछित परिणाम पाने के लिए सबसे कम हस्तक्षेप करने वाले यंत्र के निर्धारण में, अधिकारियों को तमाम उपायों के विस्तृत दायरे को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उसका निषेध एक अंतिम उपाय हो. इस उदेश्शय के मद्देनजर, आच्छादित प्रतिबन्ध, जिसमें इस अधिकार पर पूरी पाबन्दी शामिल है, या किसी ख़ास स्थान या किसी निर्धारित समय में इस अधिकार को किसी भी तरह से उपभोग करने पर पाबन्दी हो, ऐसी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही को आन्तरिक रूप से अनुपातहीन माना जायेगा, क्योंकि वे प्रत्येक प्रस्तावित सभा के लिए विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करने को पहले से ही प्रतिभादित कर देते हैं (ए/एचआरसी/23/39, पैरा63 देखें)।

31. एक सभा को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य जब राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण का हवाला देता है तो ऐसे खतरे और विशिष्ट जोखिम की यथातथ्य प्रकृति को राज्य को सिद्ध करना चाहिए।[11] आमतौर पर सुरक्षा परिस्थिति का संदर्भ देना राज्य के लिए पर्याप्त नही है। राष्ट्रीय, राजनीतिक या सरकारी हित कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक आदेश के पर्याय नही है।

32. व्यवसायिक गतिविधियों या वाहनों और पैदल यात्रियों के आवागमन के उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थल सभाओं के लिए भी समान रुप से वैध हैं। सार्वजनिक स्थल के किसी भी उपयोग के लिए विभिन्न हितो की सुरक्षा के लिए समन्वय के उपायों की आवश्यकता है, लेकिन

---

[8] ह्यूमन राइट्स कमिटी, जनरल कमेंट न. 27(1999) ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, पैरा 13 देखें

[9] ओएससीई/ओडीआईएचआर, गाईडलाइन्स ,पैरा 35, एंड यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, *हाइड पार्क एंड अदर्स व मोलडोवा,* एप्लिकेशन न 33482/06, 31 मार्च 2009

[10] यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, *हशमैन एंड हर्अप व द यूनाइटेड किंगडम,* एप्लिकेशन सं 25594/94 25 नवम्बर 1999, पैरा 31 एंड *गिल्लन एंड क्वीनटोन व द यूनाइटेड किंगडम,* एप्लिकेशन सं 4158/05, 12 जनवरी 2010 पैरा. 76 देखें

[11] ह्यूमन राइट्स कमिटि, कम्यूनिकेशन सं 1119/2002, *ली व द रिपब्लिक ऑफ कोरिया,* व्यूज एडोप्टेड ऑन 20 जुलाई 2005,पैरा 7.3

कई वैध तरीके हैं जिनके द्वारा व्यक्ति सार्वजनिक स्थल का उपयोग कर सकते हैं। सभाओं के द्वारा साधारण जीवन में एक ख़ास तरह की परेशानी पैदा करना, जिसमें यातायात में व्यवधान पैदा करना, चिढ़चिढ़ाहट और यंहा तक कि व्यवसायिक क्रियाकलापों को नुकसान पहुंचाना शामिल है, इन सभी को सहन किया जाना चाहिए यदि अधिकार को सार विहीन न करना हो।[12]

33. सभाओं के प्रतिभागी अपने संदेश की विषयवस्तु का चयन करने और अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। सभाओं की विषयवस्तु पर प्रतिबंध केवल ऊपर उल्लेखित सीमाओं के अनुरूप ही लगाये जा सकते हैं, उदाहरण के लिए, जंहा संदेश राष्ट्रीय, जातिगत या धार्मिक घृणा का पक्षधर हो जो कि भेदभाव, दुश्मनी या हिसां उत्पन्न करते हैं। जंहा विषय-वस्तु के आधार पर प्रतिबंध जायज है, वंहा अधिकारियों को मुद्दे के समाधान के लिए कम हस्तक्षेपवाले और प्रतिबंधात्मक उपाय करने चाहिए।

34. "समय, स्थान और तरीके" पर प्रतिबंधों का तात्पर्य पूर्व-प्रतिबंधों से है, कि सभा कब, कंहा और कैसे आयोजित की जा सकती है । सभा के संदेश या उसमें निहित मूल्य को कमजोर करने की नियत से या सभा की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग से किसी को भी परामर्श द्वारा मना करना जैसे प्रतिबंधों को कभी भी लागू नही किया जाना चाहिए।

35. किसी भी सीमा को न्यायोचित ठहराने की जिम्मेदारी अधिकारी की होती है। यदि कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो आयोजकों के पास उसकी न्यायिक समीक्षा और जंहा उपयुक्त हो वंहा प्रासंगिक प्रशासनिक समीक्षा का विकल्प होना चाहिए जो कि त्वरित, सक्षम, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो।[13]

36. **व्यवहारिक सिफारिशें:**

(अ) सभाओं के संबंध में राज्य के आचरण को संचालित करने वाले कानूनों का मसौदा असंदिग्ध रुप से तैयार किया जाना चाहिए और उसमें वैधता, आवश्यकता एवं आनुपातिकता के परीक्षण को शामिल किया जाना चाहिए। कानूनों में स्पष्ट दर्शाना चाहिए कि किस प्राधिकरण निकाय को अधिसूचना प्राप्त करने एवं उसका उत्तर देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और जो अनावश्यक हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो। इस शासकीय निकाय को अत्यधिक अधिकार नही दिये जाने चाहिएः जिन मापदंडों के आधार पर यह निकाय प्रतिबंध लगा सकता है, वह सार्वजनिक रुप से उपलब्ध होने चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और मानकों के अनुरुप होने चाहिए;

(ब) प्रस्तावित प्रतिबंधों को लिखित रुप में, उन्हें न्यायोचित ठहराते हुए आयोजकों को सूचित किया जाना चाहिए, जिसमें प्रतिबंध का औचित्य उल्लेखित हो, और आयोजकों को अवसर दिया गया हो कि वे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें और किसी भी प्रस्तावित प्रतिबंध का जवाब दे सकें;

(स) प्रस्तावित प्रतिबंधों को कानून के अनुसार एक समय सीमा के अन्दर सूचित किया जाना चाहिए, जिसमें अपील के लिए प्रयाप्त समय दिया गया हो - या त्वरित अंतरिम राहत मिले - और यह सब सभा के प्रस्तावित समय से पहले पूरी कर ली जाये;

---

[12] यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स,*कुज़नेत्सोव व रशिया(Kuznetsov v. Russia,*) एप्लिकेशन स 10877/04, 23 अक्टूबर 2008, पैरा 44 एंड इंटर-अमेरिकन कमिशन ऑन ह्यूमन राइट्स, *रिपोर्ट ऑन सिटीजन सिक्योरिटि एंड ह्यूमन राइट्स,* पैरा 197 देखे.

[13] ह्यूमन राइट्स काउंसिल रिजोल्यूशन 25/38; ए/एचआरसी/20/27, पैरा 42 भी देखें

(द) **कानून के अन्दर प्रशासनिक उपचार प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि, प्रशासनिक उपचारों को पूरी तौर से प्रयोग करना किसी आयोजक के लिए न्यायिक समीक्षा करवाने के लिए पूर्वापेक्षित न हो।**

द . शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों के प्रयोग के लिए राज्य सहायता करेंगे

37. अधिकारों को सुनिश्चित करने के राज्यों के सकारात्मक दायित्वों के लिए जरुरी है कि सभाओं के लिए प्राधिकरण सहयोग दें। राज्यों को सभाओं के लिए उचित योजना बनानी चाहिए, जिसके लिए सूचना का संग्रहण एवं विश्लेषण, विभिन्न परिदृश्यों का अनुमान और जोखिम की उचित समीक्षा ज़रूरी है। सभाओं की योजना और उन्हें सुसाध्य बनाने की प्रक्रिया में एवं यह सुनिश्चित करने में कि कानून को लागू करने का कोई भी कदम आनुपातिक एवं आवश्यक है, पारदर्शी निर्णय लेना अहम् बिंदु है। आकस्मिक योजनायें एवं एहतियाती उपाय भी पहले से तय कर लिये जाने चाहिए। उचित योजना बनाना एवं उसकी तैयारी के लिए गतिविधियों की निरंतर निगरानी आवश्यक है, और वे बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए।

38. सभाओं को उचित सहयोग देने का लाभ सभी संबंधित पक्षों के बीच प्रभावी संचार एवं समन्वय से भी मिलता है। (ए /एचआरसी/17/28, पैरा. 119 देखें)। अधिकारियों (जिनमें नोटिस प्राप्त करने वाले और कानून प्रवर्तन अधिकारी शामिल हैं) के बीच खुली बातचीत और जंहा पहचानने योग्य हो, सभा के आयोजकों से, सभा के पहले, उसके दौरान और सभा के बाद ऐसा संवाद एक सुरक्षात्मक एवं सुविधाजनक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे तनाव कम करने एवं उसकी बढ़ोत्तरी रोकने में मदद मिलती है।[14] कानून प्रवर्तन संस्थाएं और अधिकारियों को सभा के आयोजकों और/या प्रतिभागियों से पुलिस संचालन और किसी भी सुरक्षा एवं रक्षा उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए।[15] बातचीत केवल मौखिक संचार तक ही सीमित नही है और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को किसी भी अप्रत्यक्ष संचार के संभव प्रभाव के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए जिसका अनुमान आयोजकों और प्रतिभागियों के द्वारा किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, निश्चित उपकरणों की उपस्थिति एवं प्रयोग और अधिकारियों की शारीरिक भाषा।

39. प्रभावी संचार, विश्वसनीय संबंधों पर निर्भर करता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां को उन समुदायों के साथ भरोसा बनाने के लिए लगातार रणनीति बनाते रहना चाहिए जिनके लिए वो काम करती हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जनसांख्यिकीय संरचना में पूरे समुदायों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सभाओं से पहले और सभा के दौरान सूचना का मुक्त प्रवाह होना चाहिए, और सभी संबंधित पक्षों को संदर्भ या परिस्थिति में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। सभा के आयोजकों और प्रतिभागियों के द्वारा संचार एवं संवाद पूरी तौर से स्वच्छिक होना चाहिए , और औपचारिक या अनौपचारिक रुप से आयोजकों पर सभा के समय, स्थान या तरीके को अधिकारियों के साथ बातचीत के ज़रिये तय करने के दायित्व को थोपा नही जाना चाहिए। ऐसे प्रावधान योजनाबद्ध सभा को प्रतिबंधित करने के तुल्य होंगे। (ए/एचआरसी/23/39, पैरा. 56)

---

[14] जेनेवा एकादमी ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमनटेरियन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, *फैसिलिटेटिंग पीसफुल प्रोटेस्ट(2014), प. 16*

[15] यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, *फ्रुमकिन व रशिया*, एप्लिकेशन सं 74568/12, 5 जनवरी 2016, पैरा127-128

40. राज्य के द्वारा सभाओं को सुसाध्य करने के दायित्वों में मूल सेवाएं जैसे यातायात प्रबंधन, चिकत्सीय सेवा, और सफाई-सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं। [16] आयोजकों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मजबूर नही किया जाना चाहिए और ऐसे प्रावधानों के खर्च में योगदान करना उनके लिए ज़रूरी न हो.

41. कानून प्रवर्तन का एक प्राथमिक कर्तव्य, सभाओं को सुसाध्य बनाने के दायित्व के अतिरिक्त, सभाओं में प्रतिभागियों, और साथ ही निगरानी करने वालों और दर्शकों की सुरक्षा एवं अधिकारों का संरक्षण करना है ।

42. कानून प्रवर्तन अधिकारीगण को उचित रुप से सभाओं को सुसाध्य बनाने में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रशिक्षण में सभाओं को अभिशाषित करने की विधिक संरचना, भीड़ के सुसाध्य एवं प्रबंधन तकनीक, सभा के संदर्भ में मानवाधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभाओं के द्वारा निभाए जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में उचित ज्ञान शामिल है। प्रशिक्षण में कुछेक कौशल शामिल किया जाना चाहिए, जैसे प्रभावी संचार, संधिवार्ता और मध्यस्ता शामिल होना चाहिए जिससे कानून प्रवर्तन अधिकारीगण हिंसा में वृद्धि रोक कर टकराहट को कम कर सकें।[17]

43. कानून प्रवर्तन के द्वारा एक सभा को आयोजन करने वाले या भाग लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध रोको-और-तलाश करो की रणनीति का प्रयोग, स्वतंत्रता और शारीरिक सुरक्षा के अधिकार और साथ ही गोपनियता को प्रभावित कर सकता है। रोको-और-तलाश करो की रणनीति को मनमाने ढंग से नही चलाना चाहिए और इसमें गैर-भेदभाव के सिद्धांत का उल्लंघन नही करना चाहिए। कानून के तहत इसको अधिकृत किया जाना चाहिए, और इसे आवश्यतानुसार प्रयोग किया जाना और आनुपातिक होना चाहिए।[18] यह तथ्य कि एक व्यक्ति शांतिपूर्ण सभा में भाग ले रहा है, तलाशी लेने के लिए उपयुक्त आधार नही बनाता है।

44. कानून प्रवर्तन को हिसांत्मक व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को सभा से हटाने की अनुमति देकर, सभाओं में गिरफ्तार करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक भूमिका निभा सकता है। "गिरफ्तार" शब्द, किसी भी तरह से स्वतंत्रता को वंचित करने को दर्शाता है, और घरेलू कानून के तहत औपचारिक गिरफ्तारी तक ही सीमित नही है। यह महत्वपूर्ण है कि गिरफ्तारी की शक्तियों का सतत प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के साथ किया जाये, जिसमें गोपनीयता, स्वतंत्रता और कानूनी-प्रक्रिया के अधिकार शामिल हैं।

45. किसी की भी गिरफ्तारी या हिरासत मनमाने ढंग से नही की जा सकती है। सभाओं के संदर्भ में, इसका महत्त्व सभाओं के अपराधीकरण और असहमति के लिए विशेषरुप से जुडा हुआ है। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के उनके अधिकार के प्रयोग को रोकने या दण्डित करने के इरादे से प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी इन संरक्षणों का उल्लंघन कर सकते हैं, उदाहरण के लिए अप्रमाणिक, अनुचित या आनुपातिकता की कमी पर आधारित आरोपों पर। इसी प्रकार, हस्तक्षेपकारी, अग्रकय साधनों का उपयोग नही किया जाना चाहिए जब तक कि वास्तव में अन्निकट हिंसा का एक स्पष्ट और हाज़िर खतरा मौजूद न हो। सभा के प्रतिभागियों की "सामूहिक गिरफ्तारी" अक्सर अविवेकी और मनमाने ढंग से गिरफ्तारी मानी जाती है।

---

[16] ओएससीई/ओडीआईएचआर, *गाइडलाइन्स,* पैरा 32

[17] प्रिंसिपल 20 ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल एंड ओएससीई/ओडीआईएचआर, *गाइडलाइन्स,* पैरा 147 देखें

[18] आतंकवाद से निपटने में मानवाधिकारों की सुरक्षा पर कार्यसमू, *बेसिक ह्यूमन राइट्स रिफेरेंस गाइडः द स्टोपिंग एंड सर्चिंग ऑफ पर्सन्स (* सितम्बर 2010)

46. जब एक गिरफ्तारी होती है तो हिरासत की परिस्थितियों को न्यूनतम मानकों पर खरा उतरना होगा। यह किसी भी स्थान या परिस्थिति पर लागू होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया हो, जिसमें जेल, नियंत्रक सेल, सार्वजनिक स्थल और बंदियों को हस्तांतरित करने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन, और कोई अन्य स्थान जंहा बंदियों को हिरासत में रखा गया है, शामिल है। बंदियों के साथ उनकी गरिमा के अनुरूप मानवीय ढंग और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए [19] और उन्हे यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड नही दिया जायेगा।

47. प्रशासनिक हिरासत को लागू करना विशेष रुप से एक परेशानी का ख़ास कारण है। मानवाधिकार समिति ने जोर दिया है कि ऐसी हिरासत मनमाने ढंग से स्वतंत्रता को वंचित रखने के गंभीर जोखिम प्रस्तुत करती है, जबकि यह आपराधिक आरोप के आधार पर अभियोजन के अनुरुप नही है।[20]

48. आनुपातिकता का मुद्दा विशेषरुप से सभा के संदर्भ में लगाये गये प्रशासनिक प्रतिबंधों के मद्देनज़र, प्रासंगिक है। कोई भी जुर्माना अत्यधिक नही होना चाहिए - उदाहरण के लिए, आनुपातिक रुप से बहुत अधिक जुर्माना लगाना। ऐसे जुर्माने उचित-प्रक्रिया की चिंता दर्शाते हैं और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर व्यापक तौर पर उदासीन प्रभाव डालते हैं।

49. **व्यवहारिक सिफारिशें:**

(अ) कानून प्रवर्तन में राज्यों को विभिन्नता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि समुदाय स्वयं को पुलिस के रुप में देखें। इसके लिए पर्याप्त रुप से एक प्रतिनिधि निकाय की आवश्यकता है जिसमें महिलाएं एवं अल्पसंख्यक समूह भी शामिल हों;

(ब) राज्यों को सभी सभाओं के लिए सतत योजनाएं लागू करनी चाहिए जो कि खतरे और जोखिम का आंकलन करने वाले मॉडल पर आधारित हों और जिसमें मानवाधिकार कानून और मानक और साथ में नैतिकता शामिल हों।

(स) कानून प्रवर्तन समेत सरकारी अधिकरियों को सभा के आयोजकों और /या सभा के प्रतिभागियों के साथ सही रुप में संलग्न होने के अपने प्रयासों के सबूत देने में सक्षम होना चाहिए

(द) कानून प्रवर्तन एजेसियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्था के भीतर सभा से पहले, उसके दौरान एवं उसके बाद एक संपर्क सूत्र उपलब्ध है। संचार एवं संघर्ष प्रबंधन कौशल में संपर्क सूत्र प्रशिक्षित होना चाहिए और सुरक्षा मुद्दो और पुलिस व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया करे, और साथ ही प्रतिभागियों के द्वारा अभिव्यक्त मूल मांगों और विचारों पर। संपर्क का दायित्व को अन्य पुलिस जिम्मेदारियों से अलग किया जाना चाहिए;

(य) राज्य और कानून प्रवर्तन निकायों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सीखने को सुसाध्य बनाने एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभा के लिए घटनोपरांत डी-ब्रीफिंग तंत्र स्थापित किया जाय;

---

[19] हिरासत या जेल के किसी भी रुप के अंतर्गत सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतू सिद्धांतो के निकाय का सिद्धांत 1.

[20] व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा पर समिति की सामान्य टिप्पणी सं 35 (2014), पैरा 15 देखें

(र) कानून प्रवर्तन को सभा के लिए आयोजकों के द्वारा चयनित कारिंदों के साथ सहयोग करना चाहिए। इन कारिन्दो की स्पष्ट पहचना होनी चाहिए एवं इन्हे उचित प्रशिक्षण एवं जानकारी दी जाना चाहिए। अधिकारियों को कारिन्दे उपलब्ध कराने के लिए आयोजकों को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए;

(ल) एक सभा में घुसपैठ के अग्रिम उपाय प्रयुक्त नही किये जाने चाहिए। सभा में जाने की राह में प्रतिभागियों को रोकना, उनकी छानबीन या गिरफ्तारी नही होना चाहिए, जब तक कि आसन्न हिंसा का एक स्पष्ट एवं विधमान खतरा न हो।

य. जब तक एकदम अपरिहार्य न हो तब कर बल प्रयोग नही किया जाना चाहिए, और यदि किया जाय तो यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुरुप होना चाहिए

50. राज्य और उनकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बिना किसी भेदभाव के, सभा के प्रतिभागियों के और उनके साथ-ही-साथ निगरानी कर्ताओं और श्रोतागणों के अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा करने का दायित्व है। [21] बल प्रयोग करने के नियामक ढांचे में वैधता के सिद्धांत, एहतियात, आवश्यकता, अनुपतिकता और जवाबदेही शामिल हैं।

51. वैधता के सिद्धांत के लिए यह आवश्यक है कि राज्य, बल प्रयोग करने के लिए एक घरेलू वैध ढांचा विकसित करे, विशेषरुप से संभावित घातक बल तैयार करें जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप हो।(ए /एचआरसी/26/36, पैरा. 56 देखें)। नियामक संरचना के ज़रिये सभा के दौरान, प्रदर्शन समेत, विशेषरुप से हथियारों और रणनीति के प्रयोग को रोकना चाहिए और इसमें हथियारों एवं उपकरणों के लिए औपचारिक अनुमोदन और तैनाती प्रक्रिया शामिल है।[22]

52. एहतियात के सिद्धांत के लिए यह आवश्यक है कि सभा से संबंधित योजना बनाने में, तैयारी करने और कार्यवाही संचालन में सभी संभव कदम उठाये जायें, ताकि बल प्रयोग से बचा जा सके, या जंहा बल प्रयोग अपरिहाहर्य हो, इसके नुकसानदेह परिणामों को कम-से-कम किया जा सके। यंहा तक कि यदि बल प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता और समानुपाती जरुरत के अनुरुप है, लेकिन पहले ही स्तर पर बल प्रयोग की जरुरत पड़ने से बचा जा सकता था, तो भी एक राज्य को उचित उपाय लेने में असफल रहने के लिए जवाबदेह माना जा सकता है।[23] प्रशिक्षण में भीड़-नियंत्रण और प्रबंधन तकनीक शामिल होनी चाहिए जो कि सभाओं को शासित करने वाले कानूनी ढांचे के अनुरुप हो।[24] राज्यों को यह जरुर सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कानून प्रवर्तन अधिकारियो की भी समय-समय पर वैध बल प्रयोग , और उन हथियारों के प्रयोग जिससे वे सुसज्जित हैं,[25] के उपयोग करने के प्रशिक्षण और परिक्षण से हो।

---

[21] कानून प्रवर्तन अधिकारियों का आचरण मानवाधिकार कानून, कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए आचार-संहिता और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा बल एंव आग्नेयास्त्रों के प्रयोग के मूल सिद्धांतों का द्वारा शासित होता है। कानून के अलावा, मनमाने ढंग से और समीक्षा क्रियान्वयन के प्रभावी संरक्षण एवं छानबीन पर सिद्धांत भी देखें

[22] उदाहरण के लिए देखें, अमनेस्टी इंटरनेशनल, *यूज ऑफ फोर्सः गाइडलाइन्स फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ द यूएन बेसिक प्रिंसीपल ऑन द यूज ऑफ फोर्स एंड फायरआर्म बाय लॉ इंफोर्समेंट ऑफिसियल्स (2015), प 46*

[23] यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, *मैककैन एंड अदर्स व यूनाइटेड किंगडम,* एप्लिकेशन सं 18984/91,27 सितम्बर 1995

[24] प्रिंसिपल 20 ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड ओएससीई/ओडीआईएचआर, *गाइडलाइन्स,* पैरा 147.

[25] प्रिंसिपल 19 ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स

53. खतरों के आंकलन के आधार पर, सभा के दौरान कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए जो उपकरण तैनात किये जाते हैं, जिसमें उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और उचित कम-घातक हथियार दोनो ही शामिल होने चाहिए। [26] हथियार एवं रणनीति एक सधी हुई प्रतिक्रिया और तनाव कम करने की होनी चाहिए। तदानुसार, कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक अग्नि-शस्त्र का प्रावधान कम-घातक विकल्प के तौर पर डंडे के अलावा अस्वीकार्य है।

54. जंहा जरुरत हो, कानून प्रवर्तन अधिकारीयों को ऐसे उपकरणों से समुचित सुरक्षा देनी होगी, जैसे कि ढाल, हैलमेट और स्टेब और/या बुलेटप्रूफ जैकेट, इस इरादे से कि कानून प्रवर्तन द्वारा हथियारों के किसी भी प्रकार से प्रयोग को कम किया जाना चाहिए। ऐसे उपकरण एवं हथियार जो कि वैध कानूनी प्रवर्तन का उद्देश्य पूरा नही कर सकते या जो अनुचित जोखिम पैदा करते हैं, विशेषरुप से सभा की परिस्थितियों में, उनको प्रयोग करने के लिए अधिकृत नही किया जाना चाहिए।[27]

55. उचित परिस्थितियों में प्रयोग करने के लिए राज्यों को कम-घातक हथियार प्राप्त करने की जरुरत है, इस इरादे से कि मृत्यु या घायल करने योग्य उपकरणों के बढ़ते प्रयोग को सीमित किया जा सके।[28] कम-घातक हथियारों का स्वतंत्र वैज्ञानिक परीक्षण और अनुमोदन होना चाहिए और प्रशिक्षित कानून प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा जिम्मेदारी के साथ इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हथियारों का प्रभाव घातक या नुकसानदेह हो सकता है यदि उन्हें उचित तौर पर इस्तेमाल न किया जाए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं मानवाधिकार मानकों के अनुरुप इस्तेमाल न किये जाने पर । राज्यों को कम-घातक हथियारों की और उनके इस्तेमाल के प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम स्थापित एवं लागू करने के लिए कार्य करना चाहिए।

56. रिमोट से नियंत्रित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के हथियार उपलब्ध हो रहे है, विशेषरुप से सभाओं की निगरानी के सन्दर्भ में। इस संबंध में अत्यधिक सावधानी बरतने की जरुरत है। जंहा उन्नत तकनीकि का इस्तेमाल होत है, वहां कानून प्रवर्तन अधिकारी, पूरे समय, व्यक्तिगत रुप से बल के वास्तविक वितरण या दागने पर नियंत्रण रखें। (ए/69/265, पैरा. 77-87).[29]

57. कानून प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा बल प्रयोग असाधारण होना चाहिए, [30] और सभाओं का आमतौर पर प्रबंधन बिना बल प्रयोग के किया जाना चाहिए। बल का कोई भी प्रयोग आवश्यकता एवं समानुपात के सिद्धांत के अनुरुप होना चाहिए। ज़रुरत पर आधारित मांग बल प्रयोग के प्रकार एवं तीव्रता को सीमित करती है, जो परिस्थितियों में न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित होती है (न्यूनतम हानिकारक उपलब्ध साधन), जो तथ्यों पर आधारित कारण एवं प्रभाव के आकलन पर निर्भर करता है। प्रयुक्त किया गया कोई भी बल हिंसा का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों पर लक्षित किया जाना चाहिए या फिर आसन्न खतरे को टालने के लिए।

58. लक्षित किये गये व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न खतरे के आधार पर बल के प्रयोग पर समानुपाती आवश्यकता रोक लगाती है। यह एक मूल्य आधारित निर्णय है जो कि हानि और लाभ को संतुलित करता है, इसका तकाजा है कि बल प्रयोग के कारण हुई हानि, अपेक्षित लाभों के संबंध में समानुपाती एवं न्यायोचित है।

---

[26] प्रिंसिपल 2 ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स।कम घातक हथियारों का घातक परिणाम हो सकता है या पास खड़े लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।(प्रिंसिपल 3 ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल देखें)।

[27] अमेनेस्टी इंटरनेशनल,*यूज ऑफ फोर्स गाइडलाइन्स चैप 6,देखें*

[28] आईबीआईडी

[29] अफ्रीकन कमीशन ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट, सामान्य टिप्पणी सं 3 (2015) ऑन द अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइटः द राइट टू लाइफ(अनुच्छेद 4) पैरा 31, भी देखें

[30] कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए आचार-संहिता के अनुच्छेद 3 पर कमेंटरी देखें।

59. संभावित प्राण-घातक बलों समेत सभी बलों के प्रयोग पर आवश्यकता एवं समानुपाती सिद्धांत लागू होते हैं। सभाओं के दौरान भी कानून प्रवर्तन के लिए आग्नेयास्त्रों के प्रयोग पर विशिष्ट नियम लागू होते हैं।[31] आग्नेयास्त्रों का प्रयोग या तो जीवन सुरक्षा या जीवन को खतरे में डालने वाली चोटों से सुरक्षा (बल के प्रयोग को अनुपातिक बनाते हुए) के लिए केवल आसन्न खतरे के खिलाफ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जीवन को खतरे से बचाने का कोई भी व्यवहार्य विकल्प नही होना चाहिए जैसे कि बंदी बनाना या गैर-घातक बल प्रयोग (बल को आवश्यक बनाते हुए)।

60. एक सभा को केवल तितर-बितर करने के लिए आग्नेयास्त्रों का प्रयोग कभी नही करना चाहिए; भीड़ में अंधाधुंध फायरिंग सदैव ही अवैध है (ए/एचआरसी/26/36, पैरा. 75 देखें)। बल का अंतर्राष्ट्रीय घातक प्रयोग केवल वहीं वैध है जंहा यह आसन्न खतरे से दूसरे की जीवन सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है; यह कभी-कभी सुरक्षा जीवन सिद्धांत के रुप में जाना जाता है। (आईबीआईडी., पैरा. 70)।

61. सभा को तितर-बितर करने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार के उलंघ्घन का जोखिम तो शामिल है ही, साथ ही निकाय अखण्डता के अधिकार का भी। सभा को तितर-बितर करने में प्रतिभागियों और कानून प्रवर्तन के बीच बढ़ते तनाव का जोखिम भी है। इन कारणों से यह तभी प्रयुक्त किया जाना चाहिए जब पूर्णरुप से यह अपरिहार्य हो। उदाहरण के लिए, तितर-बितर वंहा किया जा सकता है जंहा हिंसा गंभीर एवं व्यापक हो, और शारीरिक व् संपत्ति की सुरक्षा के लिए खतरा हो, और जंहा सभा को सुसाध्य बनाने और प्रतिभागियों को हानि से बचाने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारी सभी उचित उपाय कर चुके हों। तितर-बितर करने के अनुमोदन से पहले, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी हिंसक व्यक्ति को पहचानकर मुख्य सभा से अलग कर देना चाहिए और हिसंक व्यक्तियों एवं अन्यों में अंतर करना चाहिए। इससे सभा जारी रह सकती है।

62. अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल दुर्लभ मामलों में ही एक शांतिपूर्ण सभा को तितर-बितर करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, एक शांतिपूर्ण सभा जो कि भेदभाव, दुश्मनी एवं हिंसा को उकसाती है, जो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन करती है, तितर-बितर करने के आदेश दे सकती है यदि परिस्थिति का प्रबंधन करने के कम दखल देने वाले एवं भेदभाव करने वाले साधन विफल हो गये हों। इसी प्रकार, जबकि दूसरों को मात्र असुविधा या वाहनों या पैदलयात्री के यातायात में अस्थायी दखल सहन किया जाना है, लेकिन जंहा सभा आवश्यक सेवाओं का उपयोग रोकती है जैसे कि एक अस्पताल का आपातकालीन प्रवेश द्वार अवरुद्ध करना, या यातायात या अर्थव्यवस्था में दखलअंदाजी गंभीर और निरंतर हो उदाहरण के लिए जंहा एक मुख्य राजमार्ग कई दिनों के लिए अवरुद्ध कर दिया गया हो, ऐसी परिस्थिति में तितर-बितर करना न्यायोचित है। सभा के बारे में अधिकारियों को अधिसूचना देने में विफल रहना तितर-बितर करने का आधार नही है।

63. केवल उन सरकारी अधिकारियों या ऊंचे पद वाले अधिकारियों को ही तितर-बितर करने के आदेश देने का अधिकार होना चाहिए, जिनके पास परिस्थिति की पर्याप्त एवं सटीक जमीनी जानकारी हो। यदि तितर-बितर करना आवश्यक समझा जाता है, तो सभा और प्रतिभागियों को स्पष्ट रुप से सुनायी देते हुए सूचित कर देना चाहिए, और स्वेच्छा से तितर-बितर होने का

[31] प्रिंसिपल 9 ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स

पर्याप्त समय भी दिया जाना चाहिए।[32] केवल तब भी यदि प्रतिभागी तितर-बितर होने में विफल रहते हैं, तब कानून प्रवर्तन अधिकारी आगे हस्तक्षेप कर सकते हैं।

र. प्रत्येक व्यक्ति को सभाओं को देखने, निगरानी करने एवं रिकॉर्ड करने का अधिकार होगा

64. जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी के अनुसार, राज्यों को, सभा से संबधित किसी भी घटना के मामले में, जिसके दौरान संभवतः बल का अवैध प्रयोग होता है, प्रभावी रिपोर्टिंग एवं समीक्षा प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए।[33]

65. हिंसा के जोखिम या बल के प्रयोग को कम करने एवं अधिकारियों के द्वारा अवैध कार्य या चूक की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, एक स्पष्ट एवं पारदर्शी कमांड संरचना स्थापित की जानी चाहिए।[34] सभी स्तरों के कमांड अधिकारियों के द्वारा लिये गये निर्णयों के समुचित रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है। कानून प्रवर्तन अधिकारी स्पष्टरुप से एवं व्यक्तिगतरुप से पहचानने योग्य होने चाहिए, उदाहरण के लिए एक नामपट्टिका अथवा एक क्रमांक संख्या प्रदर्शित करते हुए। इसके अलावा, ऑपरेशन के दौरान व्यक्तिगत अधिकारियों को उपलब्ध कराये गये उपकरणों, जिसमें वाहन, आग्नेयास्त्र एवं गोलाबारुद के रिकॉर्ड सहेजने या पंजिका की एक स्पष्ट प्रणाली होनी चाहिए।

66. सामान्य नियमानुसार, सभा के पुलिस नियंत्रण के लिए सेना का प्रयोग नही करना चाहिए। कुछ अपवाद परिस्थितियों में जंहा यह आवश्यक हो जाता है, वहां सेना नागरिक अधिकारियों के अधीन होनी चाहिए।[35] सेना पूर्णरुप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून एवं सिद्धांतो और साथ ही कानून प्रवर्तन नीति, दिशा-निर्देशों एवं नैतिकता में प्रशिक्षित होनी चाहिए. उन्हें अपनाने एवं उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हो, और यदि आवश्यक हो तो दूसरे प्रशिक्षण एवं उपकरण उन्हे उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इन आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, राज्यों को ऐसी स्थिति पैदा होने से पहले से ही उपाय करने चाहिए।

67. व्यवहारिक सिफारिशें:

(अ) राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के पास सभा की व्यवस्था के लिए जंहा कंही भी संभव हो बल का कोई भी प्रयोग किये बिना, आवश्यक उपकरण, प्रशिक्षण और निर्देश हों;

(ब) सभाओं की पुलिसिया व्यवस्था के लिए रणनीतियों में संचार, बातचीत एवं संलग्नता पर आधारित तीव्रता कम करने वाली रणनीतियों पर जोर देना चाहिए। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण में पूर्व एवं सेवा के दौरान कक्षा में एवं परिदृश्य-आधारित सेटिंग्स दोनों ही शामिल होनी चाहिए;

(स) कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा सभाओं में प्रयोग करने के लिए उपकरणों के चयन एवं प्राप्त करने से पहले, जिसमें कम-घातक हथियार भी शामिल हैं, राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे उपकरण अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानकों का अनुपालन करते हैं अथवा नही, एक पारदर्शी एवं स्वतंत्र मूल्यांकन कराना चाहिए। विशेषरुप से, उपकरणों

---

[32] ओएससीई/ओडीआईएचआर, *गाइडलाइन्स,* पैरा 168 देखें
[33] प्रिंसिपल 22 ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स और अनुच्छेद 8, वर्णन के साथ, आचार-संहिता के लिए, देखें
[34] प्रिंसिपल 24-26 ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल
[35] आचार-संहिता के अनुच्छेद 1 के लिए टिप्पणी

का सटीकता, विश्वसनीयता एवं भौतिक और मनोवैज्ञानिक हानि को कम करने की इनकी योग्यता के लिए उनका मूल्यांकन करना चाहिए। उपकरणों को तभी खरीदना चाहिए जहाँ इनको उचित रुप से प्रयोग करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त क्षमता हो;

(द) विशिष्ट विनियमन और विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश विकसित किये जाने चाहिए और सभाओं में सामरिक विकल्पों के प्रयोग के बारें में सार्वजनिक रुप से जानकारी दी जानी चाहिए, जिसमें डिजाइन से ही अविवेकी हथियार शामिल हैं जैसे कि आंसू गैस और पानी की बौछारें। भीड़ में कम-घातक हथियारों को कानून के अनुरुप एवं उचित प्रयोग प्रशिक्षण में शामिल होने चाहिए। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को रक्षात्मक उपकरणों का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं स्पष्ट रुप से उन्हें निर्देशित किया जाना चाहिए कि ऐसे उपकरण केवल रक्षात्मक साधन के तौर पर ही प्रयुक्त किये जायं। राज्यों को हथियारों एवं रणनीति के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण के प्रभावी होने पर निगरानी रखनी चाहिए;

(य) सभा की व्यवस्था के दौरान स्वचालित आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नही किया जाना चाहिए;

(र) स्वायत्त हथियार प्रणालियां जिनको किसी मानव नियंत्रण की आवश्यकता नही होती है, प्रतिबंधित होनी चाहिए और रिमोट से संचालित बल का प्रयोग अत्यधिक सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए;

(ल) अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून एवं सिद्धांतों के अनुरुप सभाओं को तितर-बितर करने पर राज्यों को एक व्यापक दिशा-निर्देश विकसित करना चाहिए। ऐसे दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक करना चाहिए और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को, उन परिस्थितियों का विवरण देते हुए जिसमें तितर-बितर करने का आदेश दिया जा सके, एक व्यवहारिक मार्गदर्शन देना चाहिए जैसे तितर-बितर करने के आदेश देने से पहले लेने वाले सभी आवश्यक कदम (तीव्रता कम करने वाले उपाय सहित) और तितर-बितर करने के आदेश कौन दे सकता है;

(व) बल के प्रयोग पर निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए एक प्रभावी प्रणाली राज्य के द्वारा अवश्य स्थापित की जानी चाहिए, और प्रासंगिक सूचना जिसमें कब, किसके विरुद्ध बल प्रयोग किया गया, के आंकड़े शामिल हों, और जो जनता को आसानी से सुलभ हो;

(श) मानवाधिकार के लिए संयुक्तराष्ट्र संघ उच्चायुक्त को एक विशेषज्ञ समूह का गठन करना चाहिए जो कानून प्रवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरचना से लेकर कम-घातक हथियारों और मानवरहित प्रणालियों के प्रयोग का निरीक्षण करे, जिसमें सभा के संदर्भ में उनके प्रयोग पर विशेष ध्यान देना शामिल हो;

(ष) व्यवस्था एवं भीड़-नियंत्रण उपकरणों में व्यापार को प्रतिबंधित करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, जिसमें निगरानी प्रौद्योगिकी शामिल है, और जंहा, सभा के संदर्भ में, गैर-कानूनी हत्याओं, अत्याचार, या दूसरे क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा, या दूसरे मानवाधिकार उल्लंघन या उनके उल्लंघन का एक गंभीर जोखिम उपस्थित है।

68. सभी व्यक्तियों को सभा का निरीक्षण करने और विस्तार से निगरानी करने का अधिकार है। यह अधिकार जानकारी की खोज और उसे हासिल करने के अधिकार से लिया गया है, जो कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के अनुच्चेछ19(2) के तहत सुरक्षित है। निगरानी की अवधारणा में न केवल सभा की अवलोकन प्रक्रिया बल्कि मानवाधिकार

समस्याओं के समाधान के लिए सूचना का सक्रिय संग्रहण, सत्यापन एवं तुरंत प्रयोग भी शामिल है।[36]

69. एक निगरानीकर्ता को आमतौर पर परिभाषित किया जाता है की वह एक गैर-भागीदार तीसरे पक्ष का व्यक्ति या समूह है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक सभाओं में होने वाली गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का अवलोकन करना और उन्हें रिकॉर्ड करना है। [37] राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं, लोकपाल, अंतरसरकारी निकायों और नगरीय सामाजिक संगठन सभी सामूहिक तौर पर निगरानीकर्ता का काम करते हैं। नागरिक पत्रकारों सहित पत्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।[38]

70. सभा के निगरानीकर्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व राज्यों का है। इसमें नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद 19 (3) के अंतर्गत संकीर्ण अनुज्ञेय प्रतिबंध के अनुरुप, सभा के सभी पहलुओं का अवलोकन एवं निगरानी के अधिकारों का सम्मान एवं सुलभ बनाना शामिल है। निगरानीकर्ता अन्य सभी मानवाधिकारों का भी प्रतिधारण करते हैं। निगरानीकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के मानवाधाकिर उल्लघंन एवं दुरुपयोग की जांच राज्यों को पूर्णरुप से करनी चाहिए और अभियोजन चलाना चाहिए एवं राहत के उचित उपाय प्रदान करने चाहिए। चाहे सभा शांतिपूर्ण हो अथवा नही, निगरानीकर्ताओं को सुरक्षा मिलने का अधिकार हर परिस्थिति में लागू होता है।

71. प्रत्येक व्यक्ति - चाहे वह प्रतिभागी, निगरानीकर्ता या पर्यवेक्षक हो - सभी को सभा को रिकॉर्ड करने का अधिकार है, जिसमें कानून प्रवर्तन ऑपरेशन को रिकॉर्ड करने का अधिकार शामिल हैं। इसमें वह बातचीत को रिकॉर्ड करने का अधिकार भी शामिल है, जिसमें उसे एक राज्य एजेंट के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा हो - जिसे कभी-कभी "रिकॉर्ड बैक" कहा जाता है। राज्यों को इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। नोट्स और विजुअल या ऑडियो रिकॉर्डिंग उपकरणों को उचित प्रक्रिया के बिना जब्त करना, सील करना और /या नष्ट करना से निषेध करना चाहिए और सजा देनी चाहिए।

72. **व्यवहारिक सिफारिशें:**

(अ) राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापक समुदाय संलग्न रणनीति बनी हो जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकरियों, मीडिया एवं दूसरे सभा निगरानीकर्ताओं के बीच भरोसा और संचार बनाने के लिए कार्यक्रम एवं नीतियां शामिल हों;

(ब) अधिकारियों को स्वाम सक्रिय होकर निगरानीकर्ताओं के साथ, सभा से पहले, उस दौरान एवं उसके बाद में निरंतर वार्तालाप करते रहना चाहिए ; मीडिया के सदस्यों एवं दूसरे निगरानीकर्ताओं को अनुमति एंव सूचना प्रदान करके ; और सभाओं के बाद निगरानीकर्ताओं की रपटों पर विचार करके एवं प्रतिक्रिया देकर;

(स) अधिकारियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं या प्रत्याशित सभाओं के अन्य प्रासंगिक स्वतंत्र निकायों को नियमितरुप से अधिसूचित करना चाहिए और उनके लिए आवश्यक उपलब्धता को सभा के सभी चरणों की समुचित निगरानी के लिए सुसाध्य बनाना;

---

[36] मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ उच्चायुक्त कार्यालय, *ट्रेनिंग मैनुअल ऑन ह्यूमन राइट्स मोनिटरिंग(* यूनाइटेड नेशंस पब्लिकेशन, सेल्स सं, ई.01.एक्सआईवी 2) पैरा 28

[37] ओएससीई/ओडीआईएचआर, *गाइडलाइन्स,* पैरा 201

[38] उदाहरण के लिए देखे, ओएससीई, "स्पेशल रिपोर्ट:हैंडलिंग ऑफ द मीडिया ड्यूरिंग पोलिटिकल डेमोस्ट्रेशन्स" (2007)।

(द) राज्यों को, सभा की रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से कानून के अनुसार निषेध करना चाहिए, जिसमें किसी उपकरण को जब्त या हानि पहुंचाना शामिल है, केवल उस परिस्थिति को छोड़कर, जब एक न्यायाधीश के द्वारा जारी वारंट का आज्ञापालन किया जा रहा हो जंहा जज को ऐसा लगता हो कि इनका प्रमाणक मूल्य है।

ल. एक सभा के संबंध में व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह से, गोपनियता या अन्य अधिकारों में बिना आज्ञा हस्तक्षेप नही होना चाहिए।

73. कानून प्रवर्तन के द्वारा सभाओं के उचित प्रबंधन में सटीक जानकारी का संग्रह, कानून प्रवर्तन को शांतिपूर्ण सभाओं को सुलभ एवं उसके लिए तैयारी करने के उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए लाभदायक हो सकता है। व्यक्तिगत जानकारी का संग्रहण एवं संसाधन, जैसे कि रिकॉर्डिगं उपकरणों के माध्यम से, क्लोज-सर्किट टेलिविजन और गोपनीय निगरानी, गोपनीयता में मनमाने या गैर-कानूनी हस्तक्षेप के खिलाफ प्रदान किए गए सुरक्षा नियमों के अनुरुप होना चाहिए।

74. सभा या उनके आयोजकों और प्रतिभागियों से संबंधित सूचना का संग्रहण एवं प्रसंस्करण का विनियमन करने वाली विधायिका और नीतियों में वैधता, आवश्यकता एवं समानुपाती परीक्षण को शामिल करना चाहिए। ऐसे तरीकों की दखलअंदाजी को देखते हुए, इन परीक्षणों की अवसीमा विशेषरुप से काफी उच्च है। जंहा यह अधिकारों के प्रयोग में हस्तक्षेप करते हैं, डाटा संग्रहण और प्रसंस्करण, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन का करते हैं।

75. संचार प्रोद्यौगिकी को सुरक्षापूर्वक एवं निजितौर पर उपयोग करने की क्षमता, सभाओं के आयोजन और परिचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पहुंच एवं अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध आवश्यक एवं आनुपातिक होना चाहिए एवं ऐसे निकाय के द्वारा लागू किया जाना चाहिए जो कि किसी भी राजनीतिक, व्यवसायिक या अन्य अनुचित प्रभाव से स्वतंत्र हो, और इसके दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त उचित सुरक्षा उपाय होने चहिए (ए/एचआरसी/17/27, पैरा. 69 देखें)। संचार को अवरुद्ध करने की परंपरा - एक संस्था या सभा का ऑनलाइन प्रचार में बाधा देना - शायद ही इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। (आईबीआईडी, पैरा 31)।

76. जबकि एक सभा को रिकॉर्ड करने के लिए वैध कानून प्रवर्तन एवं जवाबदेह कारण हो सकते हैं, प्रतिभागियों की रिकॉर्डिगं करने का कार्य अधिकारों के प्रयोग पर उदासीन प्रभाव पड़ सकता है जिसमें सभा की स्वतंत्रता, संगठन और अभिव्यक्ति शामिल है। शांतिपूर्ण सभा के प्रतिभागियों को उकसाने या परेशान करने के संदर्भ में एवं तरीके से रिकॉर्ड करना, इन अधिकारों में कभी न उचित ठहराया जाने वाला हस्तक्षेप है।

77. सभा से संबंधित गोपनीय सूचनाओं का संग्रह करने में खुफिया अधिकारियों का प्रयोग समस्यापूर्ण हो सकता है। यह काफी भारी हस्तक्षेप है एवं अधिकारों के उल्लंघन का इसमें बहुत अधिक जोखिम है, और इसलिए तब तक इसकी अनुमति नही दी जानी चाहिए जब तक कि संदेह करने का उचित आधार उपस्थित न हों कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य घटित होने वाला है। अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए कि आवश्यक जानकारी जुटाने का केवल प्रस्तावित खुफिअगीरी ही एक रास्ता है और कि जानकारी का मूल्य हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराता है। इसको न केवल उद्देश्य बल्कि उन सभी प्रभावित लोगों के अधिकारों के प्रभाव के संदर्भ में भी विचारना चाहिए।

78. व्यवहारिक सिफारिशें:

(अ) घरेलू कानून के लिए यह ज़रूरी होना चाहिए कि सभा के दौरान जब भी जनता की रिकॉर्डिंग की जाती है या की जा सकती है तो उन्हें सूचित करना होगा। उदाहरणस्वरुप, इसके लिए योजनाबद्ध सभा मार्ग पर नियत कैमरों की ओरे संकेत करते हुए अस्थायी संकेतक , या परामर्शी बोर्ड कि मानवरहित विमान फिल्म बना रहे हैं, लगाने आवश्यक हो सकते हैं;

(ब) राज्यों को कोई भी बायोमैट्रिक प्रोद्यौगिकी, इसमें सभा के संदर्भ में चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर शामिल हैं, अपनाने से पहले जनता की गोपनीयता एवं सुरक्षा के मजबूत एवं उचित रक्षा उपाय लागू करने चाहिए;

(स) राज्यों को कानून एवं नीतियां विकसित एवं लागू करना चाहिए कि व्यक्तिगत जानकारी केवल कानूनी एवं वैध कानून प्रवर्तन उद्देश्य के लिए संग्रह या रखी जा सकती है। ऐसी जानकारी कानून के अनुसार एक उचित समयावधि के बाद नष्ट कर देनी चाहिए;

(द) हालांकि संबंधित जानकारी रखी जानी चाहिए जंहा यह बल प्रयोग, हिरासत या गिरफ्तारी या तितर-बितर या जंहा यह शिकायत के विषय से संबंधित हो; या जंहा कानून प्रवर्तन ने अधिकारियों, निगरानी अधिकारी या जानकारी का विषय सही तौर पर संदेहास्पद हो कि एक अपराध या दुर्व्यवहार किया गया है;

(य) राज्यों को एक प्रणाली बनानी चाहिए जंहा व्यक्ति निश्चित कर सकें कि कौन सी जानकारी सहेजी गयी है और उनकी व्यक्तिगत जानकारी के संग्रहण, सहेजन एवं प्रयोग से संबंधित शिकायत करने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया उपलब्ध करायी जानी चाहिए और जिसके बाद जानकारी को अनुमोदित या मिटाया जा सकता है;

(र) राज्यों को खुफिया निगरानी के नियंत्रण के लिए एक लोकतांत्रित प्रणाली बनानी चाहिए- निरंतर कानून, विनियमन एंव नीतियों के द्वारा - जिसमें स्पष्टरुप से आवश्यकता एवं अनुपातिकता परीक्षण शामिल हो और जो स्पष्टरुप से बताये कि दखल देने के जोखिम का आकलन और प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। इसके लिए एक आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया तय होनी चाहिए जिसका निरीक्षण एक स्वतंत्र, बाहरी निकाय या निकायों द्वारा किया जाय। सभा के संदर्भ में किसी भी खुफिया निगरानी के लिए न्यायिक अधिकारी के द्वारा सत्यापन आवश्यक होना चाहिए।

व्. प्रत्येक व्यक्ति को सभा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है

79. जानकारी प्राप्त करने की योग्यता आवश्यक है ताकि व्यक्ति सभा के संदर्भ में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके और जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। जानकारी में किसी भी स्तर पर एक जन निकाय के द्वारा या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन करने वाले एक निजी निकाय के रिकार्ड्स/दस्तावेज़ भी शामिल है।[39]

80. जनता को ऐसी जानकारी आसानी से, शीघ्र, प्रभावी एवं व्यवहारिक रुप से उपलब्ध होनी चाहिए। जानकारी को सक्रिय प्रकटीकरण एवं कानून के माध्यम से जानकारी की सार्वजनिक उपलब्धता सुलभ होनी चाहिए। ऐसी उपलब्धता को सुसाध्य बनाने वाले कानून अत्यधिक

[39] विचार एवं अभिव्यक्ति पर मानवाधिकार समिति, सामान्य टिप्पणी सं 34(2011),पैरा 18 देखें। अफ्रीका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सिद्धांतो का प्रस्ताव भी देखें

प्रकटीकरण के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए, एक अनुमान स्थापित करते हुए कि जानकारी का उपयोग किया जा सकता है, केवल अपवादो की एक संकीर्ण प्रणाली के अनुसार।[40]

81. गोपनीयता सहित सर्वोपरि सार्वजनिक एवं निजि हितों की रक्षा हेतू, जानकारी के अधिकार के अपवादों को ध्यानपूर्वक बनाया जाना चाहिए। अपवाद तभी लागू किये जाने चाहिए जंहा जानकारी के उपयोग से सुरक्षित हितों को भारी हानि का जोखिम हो या जंहा यह हानि कुल मिलाकर सार्वजनिक हितों से अधिक हो।[41] यह यह प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक अधिकारी की होनी चाहिए कि जानकारी अपवाद की सीमा में आती है।[42] उसका निर्णय, निरीक्षण एवं समीक्षा का विषय होना चाहिए।

82. व्यवहारिक सिफारिशें:

(ए) राज्यों को सभाओं के प्रबंधन से संबंधित मुख्य जानकारी को स्वम आगे आकर सक्रिय रुप से प्रसारित करना चाहिए। ऐसी जानकारी में शामिल होना चाहिएः सभाओं के प्रबंधन से संबंधित कानून एवं विनियमन; सभा का प्रबंधन करने वाली एजेंसियों एवं निकायों के दायित्व एवं प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी ; सभाओं की व्यवस्था समेत मानक संचालन प्रक्रियाएं और नीतियाँ, जिनमें आचार-संहिता, शामिल हो ; सभाओं की निगरानी में नियमितरुप से प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के प्रकार ; कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी ; एवं जवाबदेह बनाने वाली प्रक्रियाएं कैसे उपलब्ध हों, उसकी जानकारी;

(बी) राज्यों को व्यापक कानून बनाना चाहिए, उदाहरण के लिए सूचना की आजादी के लिए कानून, ताकि जनता को जानकारी उपलब्ध हो सके, जो अधिकतम प्रकटीकरण के सिद्धांत पर आधारित हो। राज्यों को जानकारी का प्रबंधन करना चाहिए ताकि यह व्यापक हो एवं आसानी से उपलब्ध हो सके, और जानकारी हासिल करने के सभी अनुरोधों पर तुरंत एवं पूर्णरुप से प्रतिक्रिया करे।;

(सी) राज्यों को एक प्रभावी निरीक्षण प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ शिकायतों को प्राप्त करने एवं उनकी जांच करने का अधिकार हो, और जंहा यह प्रार्थी या शिकायतकर्ता के पक्ष में लगता हो, वंहा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आदेश देने की शक्ति हो।

प.. सभाओं के संदर्भ में मानवाधिकारों का सम्मान करना व्यापारिक उद्यमों का दायित्व है

83. मानवाधिकारों का सम्मान करना व्यापारिक उद्यमों का दायित्व है, जिसमें सभाओं के संदर्भ में अधिकार शामिल है। इसके लिए जरुरी है कि व्यापारीगण अपनी गतिविधियों के कारण मानवाधिकारों पर होने वाले या उसमें प्रतिकूल प्रभाव में योगदान देने से बचें, और उन प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावों को संबोधित करें जिनमें वह शामिल हैं।[43] यह उन प्रभावों पर भी लागू है जो कि एक व्यापार में संचालन, उत्पाद या सेवाओं से सीधे तौर से जुड़े हैं, जैसे कि जंहा एक व्यापार कम-घातक हथियारों या उपकरणों या निगरानी प्रौद्योगिक की आपूर्ति करता है जो कि सभाओं की व्यवस्था में प्रयुक्त होती है।

---

[40] संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष प्रतिवेदकों के द्वारा, विचार एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के संवर्द्धन एवं सुरक्षा पर संयुक्त प्रस्ताव, मीडिया की स्वतंत्रता पर ओएससीई प्रतिनिधि, एवं सूचना के प्रयोग पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ओएएस विशेष प्रतिवेदन(6 दिसम्बर 2004)

[41] आईबीआईडी

[42] आईबीआईडी

[43] व्यापार एवं मानवाधिकारों पर मार्गदर्शन सिद्धांतों के सिद्धांत 11 एवं 13(ए): संयुक्त राष्ट्र के "रक्षा, सम्मान एवं उपचार" संरचना (ए/एचआरसी/17/31) को लागू करना,एनेक्स.

84. सार्वजनिक स्थानों जैसे कि शॉपिंग मॉल, पैदल यात्री परिसर और चौकों का निजीकरण करने की प्रवृति का अर्थ है कि सभाएं व्यापारिक उद्यमों की स्वामित्व वाली सम्पत्ति पर आयोजित होती हैं जिन्हे कभी-कभी निजी जमीन मालिकों के सार्वजनिक स्थान भी कहा जाता है। जबकि आमतौर पर निर्धारित करने का अधिकार निजी जमीन मालिकों का ही होता है कि उनकी सम्पत्ति का उपयोग कौन करे, सभा के संबंध में यंहा तक कि व्यक्तियो के बीच संबंधों के क्षेत्र में भी इस अधिकार के लिए सुरक्षा के सकारात्मक उपाय आवश्यक हैं ।[44]

85. व्यापारिक उद्यम भी सभाओं के संचालन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, नागरिक निजी सुरक्षा सेवाएं भी सभा के दौरान निजी संपत्ति की सुरक्षा करते हुए निगरानी जैसी भूमिका निभा सकती हैं, और निजी कंपनिया अक्सर निगरानी में भूमिका निभाती हैं (ए/एचआरसी/23/39/अति..1, पैरा. 33 देखें)। व्यापारिक निकायों को मानवाधिकारों को जोश के साथ से आगे बढ़ाना चाहिए ,[45] और जंहा सभा पर और संबंधित अधिकारों पर एक संभावित हो पहचान लिया जाता है, तब इन जोखिमों को कम करें। नागरिक निजि सुरक्षा सेवाओं को सभा के संदर्भ में निगरानी जैसी गतिविधि नही करनी चाहिए। हालांकि, जंहा ऐसा होता है, ऐसी सेवाओं को मानवाधिकारों का सम्मान एवं रक्षा करनी चाहिए [46] और आचरण के उच्चतम स्वैच्छिक मानकों का पालन करना चाहिए।[47]

86. व्यापारिक निकाय आमतौर पर सभा के आयोजकों एवं प्रतिभागियों के खिलाफ रोक लगाने जैसी निशेदाग्या और अन्य नागरिक उपायों का सहारा लेते हैं ऐसे आधार पर जैसे कि उत्पीड़न विरोधी, अतिचार या मानहानि कानूनों, जिन्हे अक्सर नागरिक भागीदारी के विरुद्ध रणनितिक मुकदमें कहा जाता है। ऐसे अयोग्य नागरिक क़दमों से कानूनी प्रक्रिया को और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्यों का दायित्व है।

87. गैर-राज्य पत्रों द्वारा मानवाधिकारों के उलंघ्घन का उत्तरदायित्व एक राज्य का हो सकता है, यदि यह: उन कृत्यों को मंजूरी देता है, समर्थन या मौन स्वीकृति देता है ; उलंघ्घन को रोकने में परिश्रम करने में विफल होता है ; उचित जांच एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल होता है। व्यापारिक उद्यमों के द्वारा किये गये प्रासंगिक कदाचार को रोकना, उसकी जांच करना और प्रभावी उपाय प्रदान करना भी, राज्यों का ही दायित्व है , और निजी पार्टियों को उत्तरदायी ठहराना जो कि राज्य सीमा में या उसके अधिकार क्षेत्र में मनमाने तरीके से जीवन से वंचित करने में योगदान देती हैं या उसका कारण बनने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

88. व्यवहारिक सिफारिशें:

(ए) सभाओं के संदर्भ में व्यक्तियों के अधिकारों में व्यापारिक उद्यमों द्वारा दखलअंदाजी से राज्यों को बचाना चाहिए , जिसमें व्यापार एवं मानवाधिकार पर मार्ग-दर्शिका सिद्धांतों में दिये गये उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए कदम उठाना शामिल है;

(बी) जंहा निजीस्वामित्व वाले स्थल आम जनता के लिए खुले हैं, और सार्वजनिक स्थल के समान ही इस्तेमाल होते हैं, उन्हें सभा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के उद्देश्य के लिए सार्वजनिक स्थल की भांति ही समझा जाना चाहिए;

---

[44] *प्लेटफोर्म अर्ट्ज़ फुर दास लेबन व ऑस्ट्रीया,*पैरा 32

[45] व्यापार एवं मानवाधिकारों पर मार्गदर्शन सिद्धांतों के सिद्धांत 17-21 भी देखें

[46] व्यापार एवं मानवाधिकारों पर मार्गदर्शन सिद्धांतों के सिद्धांतों को देखें और ड्रग एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यलय, *स्टेट रैग्युलेशन कंसर्निंग सिविलियन प्राइवेट सिक्योरिटि सर्विस एंड देयर कोंट्रीब्यूशन टू क्राइम प्रीवेंशन एंड कम्यूनिटि सेफ्टी(2014)*

[47] सुरक्षा एवं मानवाधिकारों पर स्वेच्छिक सिद्धांत भी देखें (2000) जो कि डब्लूडब्लूडब्लू डॉट वोलूंटरीप्रिंसीपल डॉट ओआरजी पर उपलब्ध हैं।

(सी) राज्यों को सभा के आयोजकों एवं प्रतिभागियों की सुरक्षा के इंतज़ाम करने चाहिए, ऐसे दीवानी मुकदमों से, जो तुच्छ नियत से या फिर जनभागीदारी को कम करने के उद्देश्य से किये गये हों।

फ. राज्य एवं इसके आयामों को सभाओं के संदर्भ में उनकी गतिविधियों के लिए जवाबदेह बनाया जायेगा।

89. उपचार लागू करने वाली शक्ति रखने वाले सक्षम अधिकारी के द्वारा एक उचित, प्रभावी एवं त्वरित उपचार उन लोगों को प्रदान करना चाहिए, जिनके अधिकारों का उलंघ्घन सभा के संबंध में किया गया हो।[48] उपचार करने के अधिकार में समानता का अधिकार और न्याय पाने के लिए समान एवं प्रभावी उपलब्धता का अधिकार शामिल है ; नुक्सान भरपाई और छति उपचार के लिए उचित, प्रभावी एवं त्वरित उपाय ; और उलंघ्घन एवं नुक्सान भरपाई प्रणाली से संबंधित प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराना शामिल हैं।

90. सभा के संदर्भ में उल्लंघन के किसी भी आरोप की जांच त्वरित और प्रभावी रुप से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निकायों के द्वारा राज्यों को करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जीवन के अधिकार का प्रक्रियात्मक घटक के लिए जरुरी है कि राज्य किसी भी कथित गैर-कानूनी या मनमानी हत्या की जांच करे। कथित गैर-कानूनी या मनमानी हत्या की जांच उचित रुप से नही कर पाने में राज्य की विफलता स्वयं में जीवन के अधिकार का उल्लंघन है (ए /70/304)। इसी प्रकार, भोतिक अखण्डता के अधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही की कमी स्वयं ही उन अधिकारों का उल्लंघन हो सकती है।[49] प्रभावी जांच में निम्नलिखित तत्व शामिल हैः राज्य के द्वारा आरम्भ की गयी एक आधिकारिक जांच; आरोपित लोगों से स्वतंत्रता; निर्धारण करना कि उन परिस्थितियों में यह कृत्य न्यायोचित था अथवा नही ; एक स्तर पर त्वरित एवं उचित अभियान चलाना ; और सार्वजनिक जांच का एक स्तर।[50]

91. जंहा उचित हों वंहा आपराधिक और /या नागरिक अनुशास्ति लागू की जानी चाहिए। कमांड नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जंहा वे प्रभावी कमांड एवं नियंत्रण प्रयोग करने में विफल रहे। जंहा वरिष्ठ अधिकारी जानते थे या उन्हें जानना चाहिए था कि उनके कमांड में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बल एवं आग्नेस्त्रों का गैर-कानूनी प्रयोग किया, और उन्होने ऐसे प्रयोग को रोकने, दबाने या रिपोर्ट करने के लिए अपनी शक्ति में सभी उपाये नही किये, ऐसे अफ्वारों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।[51]

92. सभाओं के संदर्भ में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा शरीर पर पहने जाने वाले कैमरों का उचित प्रयोग आंतरिक जांच या नागरिक निगरानी प्रणाली के कार्य में सहायक हो सकता है। ऐसी प्रोद्यौगिकी अभी प्रारंभिक अवस्था में है और गोपनीयता में संभावित दखल का नाजुक संतुलन पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जवाबदेही बढ़ाने के लिए इसकी संभावना दिख रही है, जंहा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये गये हैं।

---

[48] मानवाधिकार समिति, सामान्य टिप्पणी सं 31, पैरा 15 देखें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का घोर उल्लंघन या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के अत्यधिक उल्लंघन के लिए पीड़ितों को उपचार एवं हर्जाने के अधिकार के लिए मूल सिद्धांत एवं दिशा-निर्देश भी देखें

[49] *मैककेन एंड अदर्स व यूनाइटेड किंगडम*

[50] मानवाधिकारों की यूरोपियन अदालत, *इसायेवा व रशिया,* एप्लिकेशन सं 57950/00, 24 फरवरी 2005। ए/एचआरसी/2636, पैरा 80 भी देखें

[51] मूल सिद्धांतो का सिद्धांत 24

93. अभियोजन पक्ष को अपना कार्य निष्पक्ष एवं बिना भेदभाव के पूरा करना चाहिए, और सरकारी अफसरों द्वारा किये गये अपराधों के खिलाफ अभियोग चलाने पर प्रयाप्त ध्यान देना चाहिए।[52] जब कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर अभियोग चलाया जाता है, तब न्यायपालिका को सभी मामलों पर निष्पक्षता से निर्णय करना चाहिए, बिना किसी प्रतिबंध, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, दबाब, धमकी या परोक्ष अथवा अपरोक्ष हस्तक्षेप के। [53] प्रतिवादियों को साधारण अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई का उन्हें लाभ दिया जायेगा।

94. न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा जवाबदेही की गारंटी सुनिश्चित करने के अलावा, राज्यों को गैर-न्यायिक निगरानी के स्तर जिनमें एक प्रभावी आंतरिक जांच प्रक्रिया और स्वतंत्र निगरानी निकाय शामिल हैं, लागू करना चाहिए। पुलिस के कदाचार के लिए आपराधिक, सार्वजनिक और निजी उपचारों के अतिरिक्त इन पद्धतियों का संचालन करना चाहिए न कि विकल्प के तौर पर।[54] एक समर्पित नागरिक निगरानी निकाय की भूमिका को राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था या लोकपाल के द्वारा पूरित किया जा सकता है।

95. उपचार के संबंध में, ऐसे कार्यों या उसमें चूक के लिए, जिसके लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का घोर उल्लंघन या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन करता है, राज्यों को पीड़ितों को हर्जाना प्रदान करना चाहिए।[55] उल्लंघन और हानि की गंभीरता के आनुपातिक हर्जाना होना चाहिए और इसमें बहाली, मुआवजा, पुनर्वास, संतुष्टि और उसकी पुनरावृत्ति नही करने की गारंटी जैसे तत्व शामिल होने चाहिए, साथ ही उल्लंघन और मदद तंत्र से संबंधित प्रासंगिक सूचना की उपलब्धता भी होनी चाहिए।[56]

96. व्यवहारिक सिफारिशें:

(ए) राज्यों को कानून एवं अभ्यास में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून प्रवर्तन अधिकारी कदाचार के मामले में आपराधिक या नागरिक जिम्मेदारी उन्मुक्त नही है।;

(ब) राज्यों को गैर-न्यायिक निगरानी के अतिरिक्त स्तर जिसमें प्रभावी आंतरकि जांच प्रक्रिया और सांविधिक स्वतंत्र निगरानी निकाय शामिल हैं, को निधि देनी चाहिए और स्थापित करना चाहिए। जंहा यह विश्वास करने योग्य है कि एक अपराध घठित हुआ है, यैसे मामले उचित एवं पूर्ण जांच के लिए तुरंत अभियोग अधिकारी को भेजे जाने चाहिये;

(स) एक कानून प्रवर्तन अधिकारी, जो आंतरिक या बाहरी जांच के अधीन हो, जांच पूरी होने तक और जब तक अधिकारी को दुराचार से बरी नही कर दिया गया हो, उसे दुबारा कार्य छेत्र में तैनात नही किया जाना चाहिए।;

(द) राज्यों को, सभाओं के संदर्भ में अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी योग्यता और शक्तियां रखने वाले एक स्वतंत्र निगरानी निकाय को व्यापक अधिदेश देना चाहिए। निकाय को जनता से मिली शिकायतों की जांच करने की, पुलिस के द्वारा अग्रसारित शिकायतों को प्राप्त करने की और जंहा ऐसा करना जनता के हित में है वंहा स्वयं से जांच को आरंभ करने ऐसे अधिदेश में अनुमति हो। निकाय को कानून प्रवर्तन के द्वारा बल प्रयोग के सभी मामलों की

---

[52] अभियोजनकर्ताओं की भूमिका पर दिशा-निर्देशों के दिशा-निर्देश 13(ए) एवं 15

[53] न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर मूल सिद्धांतो का सिद्धांत 2

[54] यूरोप की परिषद, मानवाधिकारों का उच्चायुक्त "पुलिस के विरुध शिकायतों का स्वंतत्र एवं प्रभावी निर्धारण के संबंध में मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त के विचार"(12 मार्च 2009) पैरा 25

[55] मूल सिद्धांतो एंव दिशा-निर्दशों का सिद्धांत 15

[56] मूल सिद्धांतो एंव दिशा-निर्दशों का सिद्धांत 11.

जांच करनी चाहिए। निगरानी निकाय के पास जांच की सभी शक्तियां होनी चाहिए और शिकायतो का निपटारा एक उद्देश्य के साथ निष्पक्ष एवं त्वरित तरीके से स्पष्ट मानदंड के अनुसार किया जाना चाहिए;

(य) राज्यों को पुलिसिया संचालन के चालू गैर-विरोधात्मक अभिजात समीक्षा करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और सुलभ बनाना चाहिए , यदि संभव हो तो किसी दूसरी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा। ऐसी समीक्षाएं अतिरिक्त की जानी चाहिए और इससे राज्यों के मानवाधिकार उल्लंघन की जांच और प्रतिबंधों के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा तंत्र स्थापित करने के दायित्व को अलग नही रखा जा सकता;

(र) राज्यों को सूचना और संचार तकनीक की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए जैसे कि सभाओं के संदर्भ में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा उल्लंघन के लिए उत्तरदायित्व निभाने के दौरान शरीर पर पहनने वाले कैमरे।

III. निष्कर्ष

97. मानवाधिकारों के संरक्षण एवं पूर्ति और समाज के लोकतांत्रिक जीवन में सभाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उनको खतरे के रुप में नही बल्कि संवाद के एक साधन के रुप में देखा जाना चाहिए जिसमें राज्यों को संलग्न रहना चाहिए।[57] बहरहाल, सभाओं के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले वृहत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौती प्रस्तुत कर सकता है।

98. यह व्यवहारिक अनुशंसाए मार्गदर्शन प्रदान करती है कि सभाओं के संदर्भ में मानवाधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्द्धन के अपने दायित्वों का निर्वहन राज्य कैसे कर सकते हैं। हालांकि, इन सिफारिशों का पूर्ण मूल्य तभी समझा जा सकता है जब वह राष्ट्रीय स्तर पर उचित रुप से लागू की जाय। इसके लिए राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, व्यापारिक उद्यमों और नागरिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वे विवेकपूर्ण और कारगर कदम उठाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ को, मानवाधिकार परिषद के ज़रिये, जिसमें सार्वभौमिक नियतकालिक समीक्षा एवं अन्य विशेष तंत्र साथ ही संधि निकाय तंत्र और क्षेत्रीय मानवाधिकार निकाय शामिल हैं, इन सब के द्वारा इन सिफारिशों के साथ-साथ अनुरुपता की निगरानी करनी चाहिए और सभाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों को विस्तृत करने के प्रयासों को जारी रखना चाहिए।

---

[57] मानवाधिकार परिषद प्रस्ताव 22/10 और ए/68/299, पैरा17.